न्यायालय :–मनीष कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बालाघाट

// विविध आदेश //

कमांक–647/मु.न्या.मजि./2026 बालाघाट, दिनांक 28/09/2026

माह **अक्टूबर एवं नवम्बर, 2026** में **दशहरा** एवं **दीपावली** का त्यौहार होने के कारण उक्त दोनों माह के सार्वजनिक अवकाश दिवसों में रिमांड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। कॉलम कमांक–2 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टॉफ सहित दोपहर 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उस सार्वजनिक अवकाश दिनांक को प्रस्तुत किये जायेंगे, निष्पादित करेंगे तथा कॉलम नम्बर–2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति या अवकाश पर रहने पर कॉलम नंबर–4 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :–

क.	रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम	सार्वजनिक अवकाश/रिमांड ड्यूटी की तिथि	वैकल्पिक व्यवस्था में रिमांड करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4
बालाघाट मुख्यालय			
1	श्री नीरज कुमार सोनी, Jmfc.Bgt.	– –	श्री सौरभ गोस्वामी, Jmfc.Bgt.
		09, 10 एवं 11 नवम्बर, 2026	
2	श्री सौरभ गोस्वामी, Jmfc.Bgt.	18 एवं 19 अक्टूबर, 2026	श्री नीरज कुमार सोनी, Jmfc.Bgt.
		21 नवम्बर, 2026	
3	सुश्री शालिनी भंडारी, Jmfc.Bgt.	17 अक्टूबर, 2026	सुश्री निहारिका व्यास, Jmfc.Bgt.
		22 एवं 29 नवम्बर, 2026	
4	श्री राज पाण्डेय, Jmfc.Bgt.	02 एवं 10 अक्टूबर, 2026	श्री ईशान ढेंगुला, Jmfc.Bgt.
		06 एवं 07 नवम्बर, 2026	
5	श्री अविनाश छारी, Jmfc.Bgt.	04, 21 एवं 25 अक्टूबर, 2026	श्री राज पाण्डेय, Jmfc.Bgt.
		– –	
6	श्री ईशान ढेंगुला, Jmfc.Bgt.	03 एवं 20 अक्टूबर, 2026	सुश्री शालिनी भंडारी, Jmfc.Bgt.
		24 नवम्बर, 2026	
7	सुश्री निहारिका व्यास, Jmfc.Bgt.	11 अक्टूबर, 2026	श्री अविनाश छारी, Jmfc.Bgt.
		01, 08 एवं 15 नवम्बर, 2026	
तहसील वारासिवनी			
1	श्रीमती दिव्या सिंह, Jmfc.Waraseoni	– –	श्रीमती अंकिता जैन, Jmfc.Waraseoni
		15, 21, 22, 24 नवम्बर, 2026	
2	श्री ऋषभ डॉनल सिंह, Jmfc.Waraseoni	– –	श्रीमती दिव्या सिंह, Jmfc.Waraseoni
		06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 नवम्बर, 2026	
3	श्रीमती अंकिता जैन,	02, 03, 18 एवं 19 अक्टूबर, 2026	श्री ऋषभ डॉनल सिंह,

	Jmfc.Waraseoni	— —	Jmfc.Waraseoni
4	सुश्री नेहा बाथरी, Jmfc.Waraseoni	10, 11, 17 एवं 25 अक्टूबर, 2026 01 नवम्बर, 2026	श्री नयन जैन, Jmfc.Waraseoni
5	श्री नयन जैन, Jmfc.Waraseoni	04, 20 एवं 21 अक्टूबर, 2026 29 नवम्बर, 2026	सुश्री नेहा बाथरी, Jmfc.Waraseoni
	तहसील बैहर		
1	श्रीमती शिवानी असाटी, Jmfc.Baihar.	02, 03, 04, 10 एवं 11 अक्टूबर, 2026 06, 07, 08, 09, 10, 11, एवं 15 नवम्बर, 2026	श्री संजय शाक्य, Jmfc.Baihar.
2	श्री संजय शाक्य, Jmfc.Baihar.	17, 18, 19, 20, 21 एवं 25 अक्टूबर, 2026 01, 21, 22, 24 एवं 29 नवम्बर, 2026	श्रीमती शिवानी असाटी, Jmfc.Baihar.
	तहसील कटंगी		
1	सुश्री शबाना खान, Jmfc.Katangi	02, 03, 04, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 एवं 25 अक्टूबर, 2026 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 21, 22, 24 एवं 29 नवम्बर, 2026	तहसील न्यायालय वारासिवनी में रिमांड ड्यूटी में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट।
	तहसील लांजी		
1	श्री प्रीतम शाह, Jmfc.Lanji	02, 03, 04, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 एवं 25 अक्टूबर, 2026 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 21, 22, 24 एवं 29 नवम्बर, 2026	जिला न्यायालय बालाघाट में रिमांड ड्यूटी में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट।

नोट :– कृपया अधोलिखित टीप का आवश्यक रूप से अध्ययन कर लेवे।

01. किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का स्थानांतरण/अवकाश में होने पर उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी **कार्य–विभाजन पत्रक के परिशिष्ट–ब** के अनुसार इंचार्ज मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित की जायेगी।

02. यदि किसी कारणवश माह **अक्टूबर** एवं **नवम्बर, 2026** में नियत अवकाश के अलावा अन्य कोई सार्वजनिक एवं स्थानीय अवकाश घोषित होता है, तो उक्त घोषित अवकाश तिथि को बालाघाट मुख्यालय का रिमांड कार्य **श्री नीरज सोनी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट, तहसील मुख्यालय वारासिवनी का रिमांड कार्य **श्रीमती दिव्या सिंह** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी, तहसील मुख्यालय बैहर का रिमांड कार्य **श्री संजय शाक्य** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, तहसील मुख्यालय कटंगी का रिमांड कार्य **सुश्री शबाना खान** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी एवं तहसील मुख्यालय लांजी का रिमाण्ड कार्य **श्री प्रीतम शाह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लांजी के द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

03. यदि किसी कारणवश माह **अक्टूबर** एवं **नवम्बर, 2026** में नियत अवकाश पर **कटंगी, लांजी एवं बैहर** में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्य आ जाने से वे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति उपरांत मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तहसील मुख्यालय **कटंगी** का रिमाण्ड कार्य तहसील मुख्यालय वारासिवनी में रिमाण्ड सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा तहसील मुख्यालय **लांजी एवं बैहर** (*तहसील मुख्यालय बैहर में वैकल्पिक मजिस्ट्रेट के उपस्थित नहीं होने पर)* का रिमाण्ड कार्य जिला मुख्यालय बालाघाट में रिमांड कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

04. रिमाण्ड ड्यूटी के विविध आदेश की कंडिका–2, जो माह अक्टूबर एव नवम्बर, 2026 में नियत अवकाश के अलावा अन्य कोई सार्वजनिक एवं स्थानीय अवकाश घोषित होने के संबंध में है, तो उक्त अवकाश दिवस पर जिला मुख्यालय बालाघाट, तहसील लांजी एवं तहसील बैहर में रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिनका उल्लेख उक्त कंडिका में किया गया है, उन्हें अचानक कोई अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण वे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट की अनुमति के उपरांत मुख्यालय से बाहर रहते हैं और जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील बैंहर में अन्य कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में **जिला मुख्यालय बालाघाट, तहसील बैहर एवं तहसील लांजी** में प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड एवं अति आवश्यक कार्य **तहसील मुख्यालय वारासिवनी** में रिमाण्ड ड्यूटी पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी के द्वारा सम्पन्न किया जावेगा। **(यदि जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील बैहर में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने मुख्यालय में उपलब्ध रहते हैं तब ऐसी स्थिति में कार्य–विभाजन पत्रक, 2026 के परिशिष्ट "ब" के अनुसार इन्चार्ज मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पन्न की जावेगी)**।

05. रिमाण्ड ड्यूटी के विविध आदेश की कंडिका–2, जो माह अक्टूबर एव नवम्बर, 2026 में नियत अवकाश के अलावा अन्य कोई सार्वजनिक एवं स्थानीय अवकाश घोषित होने के संबंध में है, तो उक्त अवकाश दिवस पर तहसील वारासिवनी एवं कटंगी में रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिनका उल्लेख उक्त कंडिका में किया गया है, उन्हें अचानक कोई अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण वे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट की अनुमति के उपरांत मुख्यालय से बाहर रहते हैं और तहसील वारासिवनी में अन्य कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में **तहसील वारासिवनी एवं तहसील कटंगी** में प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड एवं अति आवश्यक कार्य **जिला मुख्यालय बालाघाट** में रिमाण्ड ड्यूटी पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट के द्वारा सम्पन्न किया जावेगा। **(यदि तहसील वारासिवनी में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने मुख्यालय में उपलब्ध रहते हैं तब ऐसी स्थिति में कार्य–विभाजन पत्रक, 2026 के परिशिष्ट "ब" के अनुसार इन्चार्ज मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पन्न की जावेगी)**।

06. यदि किसी कारणवश माह **अक्टूबर** एवं **नवम्बर, 2026** में किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं सदस्य अवकाश के दिन मुख्यालय से बाहर रहते है तो किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट से संबंधित रिमाण्ड कार्य बालाघाट मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

07. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी सार्वजनिक अवकाश के दौरान लगाई गई है और उन्हें उक्त अवकाश दिवस में आवश्यक कार्य आ जाने से अवकाश के दौरान मुख्यालय के बाहर जाना है तो ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर जाने के पूर्व उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले सबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति अपने अवकाश आवेदन पत्र में लिखाये जाने के पश्चात् ही अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत होने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर जावें।

28/9/26
(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)

प्रतिलिपिः–

1– कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को व्हाट्स–ॲप एवं ई–मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।
3– अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को सूचनार्थ प्रेषित।
4– जिला बालाघाट एवं तहसील वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी के अंतर्गत आने वाले समस्त थानों के थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
5– कम्प्युटर अनुभाग, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी को व्हाट्स–ॲप/ई–मेल द्वारा उपरोक्तानुसार सूचित करने हेतु प्रेषित।

28/9/26
(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)